

7740
11.3.15

क्र. 1110 पत्र क्रमांक:- 1203/राजस्व/2015

दिनांक 10/3/2015

विषय:- वन भूमि के बदले राजस्व भूमि प्रत्यावर्तन किये जाने बाबत।

प्रिय श्री,

विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6509/राजस्व दिनांक 24.12.2014 का संदर्भ लेवें। जिसके द्वारा निम्नानुसार वर्णित 14.677 हैक्टर वन भूमियों के बदले में 15.00 हैक्टर राजस्व भूमि वन विभाग को प्रत्यावर्तन करने की राज्य स्वीकृति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया था:-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 65 राज०हरियाण बोर्डर-राजगढ़-चूरु-फतेहपुर-सालासर के दो लेन पेव्ड सोल्जर सड़क निर्माण हेतु वन भूमि क्षेत्रफल 2.213 है० की मांग महाप्रबन्धक सह परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधि० सीकर की।
2. रामू का बास से भढाढर जंक्शन मार्ग (ओल्ड एन.एच.11, किमी 341- 733 टू किमी 345 - 875 सीकर सिटी) 2.409 है० की मांग अधि० अभियन्ता, सार्व० निर्माण विभाग सीकर की।
3. बीड़ फतेहपुर की रक्षित वन भूमि 1.5 है० क्षेत्र में बस स्टैण्ड निर्माण की मांग नगरपालिका फतेहपुर की।
4. जिला स्टेडियम सीकर से औद्योगिक क्षेत्र तक 4.2 है० बीड़ देवीपुरा की वन भूमि की मांग आयुक्त नगरपरिषद सीकर की।
5. नगर परिषद, सीकर द्वारा नानी बीड़ के 2.48 है० वन भूमि में एसटीपी हेतु 2.48 है० वन भूमि की मांग।
6. नगर परिषद, सीकर द्वारा देवीपुरा बीड़ में बस स्टैण्ड के पास 1.875 है० वन भूमि में एसटीपी लगाने की मांग।

वांछित स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है जिससे प्रकरण में आगामी कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है। कृपया वांछित स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने का श्रम करावें।

आप्त सहित,

सत्यप्रति

✍

Executive Engineer
Municipal Council, SIKAR

भवदीय,

✍

(प्र. एन. सोनी)

श्री इन्द्र सिंह राव,
संयुक्त शासन सचिव,
राजस्व (मुप-3) विभाग,
राजस्थान, जयपुर